



JALAUN POLICE

दिनांक -20.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमेनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियोग में अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमों में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण - अभियुक्त श्यामवीर पुत्र स्व० भगवान सिंह नि० ग्राम पतराही थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध थाना कुठौन्द में मु०अ०सं० 10/2024 (वाद संख्या 77/24) धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.01.2025 को मा० न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त श्यामवीर उपरोक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।